अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2019 (RCMS 2019/00118) श्री चन्द्रशेखर राजोरा, मकान नं. 7–ए, जनता नगर रांकडी सोडाला, जयपुर–302006 (मोबाईल नं. 99832–29961) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2019,

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चन्द्रशेखर राजोरा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की ओर से श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 13.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार पूर्ण एवं स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 13.03.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 राज्य सरकार द्वारा पारित यात्रा भत्ता बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके तहत यह विदित हो कि यात्रा भत्ता बिलों के साथ वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी की यात्रा के टिकट (बस अथवा रेलगाड़ी द्वारा) लगाये जाने का प्रावधान नहीं है।

2. बिन्दु संख्या (1) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन किया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की ओर से उपस्थित सुरेश कुमार का कथन है कि उनके द्वारा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अवधि में सूचित किया जा चुका है, इसलिए अपीलार्थी की अपील दाख़िल दफ्तर करने की कृपा करें। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2019/2227 दिनांक 22.04.19 से अपील का जवाब निम्नानुसर दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना लिखित में चाही गई है:

1. राज्य सरकार द्वारा पारित यात्रा भत्ता बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके तहत यह विदित हो कि यात्रा भत्ता बिलों के साथ वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी की यात्रा के टिकट (बस अथवा रेलगाड़ी द्वारा) लगाए जाने का प्रावधान नहीं हैं
2. बिन्दु संख्या (1) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन किया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

उपरोक्त चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 01 की सूचना राज्य सरकार से सम्बन्धित है, अतः दी जानी सम्भव नहीं है।

बिन्दु सं. 02 की सूचना इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल; मत, सलाह, प्रैस, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010/जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नहीं हैं। रिट पैटीशन संख्या 419/2007 डा. सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिए, चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। अतः सूचना नहीं दी जा सकती।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

-sd-
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर